रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307] नई दिल्ली बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 1996/आश्विन 4, 1918

No. 307] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 1996/ASVINA 4, 1918

रेल मंत्रालय

(रेल-बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1996

सा. का. नि. 436(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

3. वेतन—अध्यक्ष नौ हजार रुपए प्रति मास वेतन प्राप्त करेगा, उपाध्यक्ष आठ हजार रुपए प्रतिमास वेतन प्राप्त करेगा और सदस्य प्रति मास 7300-100-7500-250-8000 रु. के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा :

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की दशा में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है, या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ है और जो पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदान या अन्य प्रकार की सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं के रूप में कोई सेवा-निवृत्ति प्रसुविधा प्राप्त करता है या प्राप्त की या जिन्हें प्राप्त करने का हकदार हो गया है, वेतन की कुल रकम अथवा अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक अभिदान के बराबर पेंशन या किसी अन्य प्रकार की सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं, यदि कोई हो, जो उसके द्वारा प्राप्त की गई हैं, या की जाएंगी, कम कर दी जाएंगी।

[सं.—94/टी. सी. (आर. सी. टी.)/1—11]

एच. सी. पुनिया, कार्यपालक निदेशक, लोक शिकायतें

पाद-टिप्पणी:—मूल नियम, अधिसूचना सं. सा. का. नि. 844(अ), तारीख 19 सितम्बर, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उसमें अधिसूचना सं. सा. का. नि. 726(अ), तारीख 6 दिसम्बर, 1991 और सा. का. नि. 185(अ), तारीख 11 अप्रैल, 1996 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 1996

G.S.R. 436(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1996.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989 for rule 3, the following shall be substituted, namely:—

   "3 Pay—The Chairman sall receive a pay of rupees nine thousand per mensem; a Vice-Chairman shall receive pay of rupees eight thousand per mensem and a Member shall receive the pay in the scale of rupees 7300-100-7500-250-8000 per mensem:

   Provided that in the case of appointment as Chairman, Vice-Chairman or Member of a person who has retired as a Judge of High Court, or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of, or has received or has become entitled to, receive any retirement benefits, by way of pension, gratuity, employer's contribution to a Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension or pensionary equivalent of employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him".

[No. 94/TC(RCT)/1—11]

H. C. PUNIA, Executive Director, Public Grievances

Foot Note:—The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification No. G.S.R. 844(E), dated the 19th September, 1989 and subsequently amended vide Notification No. G.S.R. 726 (E), dated the 6th December, 1991 and G.S.R. 185(E), dated the 11th April, 1996.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996